–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :–

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 71/2023

उनवान

राजेन्द्र सिंह पुत्र गोगराज जाति गुर्जर निवासी म.न. 3455 काली माई सुतरखाना, नसीराबाद
—— प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. रामनारायण,
2. महेन्द्रसिह,
3. सुरेन्द्र,
4. चन्द्रप्रकाश पुत्र गोगाराज
5. संजय,
6. बाबू पुत्र रामेश्वर,
7. रजत पुत्र किशोर समस्त जातिगण गुर्जर समस्त निवासीगण सुत्तरखाना मोहल्ला नसीराबाद,
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद,
9. उपपंजीयन अधिकारी पंजीयन नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :– 1 जरियें अधिवक्ता श्री फारूक खत्री
8 व 9 जरियें राज. पैरोकार, शेष अनुपस्थित

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: आदेश :– दिनांक :– 28/3/25

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बारापत्थर के हाल खसरा नमबर 731, 735, 737, 738, 758, 759 की आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पूर्वजों की पुश्तैनी भूमि हैं। उक्त आराजी का अंकन राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम जरियें विकय पत्र करया गया। आराजी मुतनाजा कोटा रोड पर स्थित है। संयुक्त हिन्दु परिवार होने के कारण उक्त आराजी पर प्रार्थी का 1/7 हक व हिस्सा निहित है। मौके पर उक्त आराजी का अलग–अलग खसरा नम्बर के अनुसार आपसी सहमती से विभाजन किया हुआ है। आराजी मुतनाजा में से प्रार्थी का हक व हिस्सा सडक के खसरा नम्बर 735 में निहित है। उक्त खसरा नम्बर पर प्रार्थी काबिज काश्त चला आ रहा है। किन्तु मुख्य सडक से आने वाले रास्तें पर अवैध निर्माण कार्य करने के लिये अप्रार्थी संख्या 1 अग्रसर है। उक्त समस्त आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पूर्वज गोगराज द्वारा संयुक्त परिवार कर आय से कय कर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम करायी गयी। अप्रार्थीगण हाल खसरा नम्बर 735 पर अवैध निर्माण करने पर व अ[illegible] करने पर आमादा है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट[illegible] जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 से 7 बावजूद तामील अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 1 को समुचित अवसर देने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:04:40 IST
Reason: SelfAttested

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

उपरान्त भी उसके द्वारा जवाब पेश नही किया गया। राज. पैरोकार ने भी जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

प्रथम दृष्टया मामला :–

ग्राम बारापत्थर के हाल खसरा नमबर 731, 735, 737, 738, 758, 759 की आराजी राजस्व अभिलेख में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदार में दर्ज है। उक्त आराजी प्रार्थी व शेष अप्रार्थीगण के नाम दर्ज नही है। प्रार्थी का कथन है कि उक्त समस्त आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पूर्वज गोगराज द्वारा संयुक्त परिवार कर आय से क्रय कर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम करायी गयी। किन्तु प्रार्थी द्वारा पत्रावली में इस तथ्य को सिद्व करने हेतु कोई दस्तावेज पेश नही किये है। प्रार्थी का कथन है कि हाल खसरा नम्बर 735 आपसी सहमती से विभाजन में उसके हिस्से में आया है। किन्तु खसरा नम्बर 735 हाल राजस्व अभिलेख में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी द्वारा आराजी मुतनाजा का साबिक राजस्व अभिलेख पेश नही किया है, साथ ही आपसी सहमती से विभाजन का कोई प्रमाण भी पेश नही किया है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 आराजी मुतनाजा के खातेदार है। रिकार्डेड खातेदार को बिना विषम परिस्थिति के पाबंद किया जाना न्यायोचित नही है। अतः प्रकरण में अस्थायी निषेघाज्ञा जारी करना न्यायोचित नही है। प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व नही होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :– विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेघाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज नही है। आराजी मुतनाजा पर कब्जा प्रार्थी का होने का कथन मूल वाद में साक्ष्य से ही सिद्व होगा। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्व नही होती है।

3. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व नही होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में नही है। तद्नुसार सुविधा का संतुलन भी विरूद्व प्रार्थी सिद्व होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

आदेश :– ग्राम बारापत्थर के हाल खसरा नमबर 731, 735, 737, 738, 758, 759 की आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:04:40 IST
Reason: SelfAttested